न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 98/2025 बउनवानी प्रकाश चन्द भारती **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी ग्राम व पोस्ट फुलवाडा तहसील वजीरपुर

GCMS No-2025/ 239 **Appeal Number- 321379130378921**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक जागीर/एन्यूटी/लेखा/2025/29 दिनांक 5.6.2025 के संबंध में* " अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)()/सूकाअ/2025/993 दिनांक 18.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तहसीलदार वजीरपुर का पत्र क्रमांक *जागीर/एन्यूटी/लेखा/2025/29 दिनांक 5.6.2025* प्रार्थना पत्र कार्यालय आवक जावक पंजिका के मुताबिक कार्यालय मे आना नही पाया गया है किन्तु प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त पत्र प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी जागीर के पत्रांक प. 139(4)(206)/जागीर/एन्यूटी/18–19/983–84 दिनांक 12.8.2025 से अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी जागीर अनुभाग के पत्रांक 139(4)(206)/जागीर/एन्यूटी/18–19/983–84 दिनांक 12.8.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना, जागीर अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:38:46 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner